अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल

संख्या–1376 /9–1–2023–331सा/2017

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2023

विषय–नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों/पार्षदों/अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन प्रदेश के नगर निगमों के पार्षदों एवं महापौरों तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात शासन द्वारा निकायों के यथावत संगठित हो जाने की अधिसूचनायें दिनांक 23.05.2023 निर्गत की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–85 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जो पार्षद या महापौर निर्वाचित हो गया हो, अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उल्लिखित धारा–85 में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। यह भी प्राविधान है कि मण्डलायुक्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलायेंगे या प्रतिज्ञान करायेंगे और तत्पश्चात महापौर ऐसे पार्षदों को जो उपस्थित हो शपथ दिलायेंगे या प्रतिज्ञान करायेंगे।

3. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–43 घ में यह प्राविधान है कि नगर पालिका का अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उक्त उल्लिखित धारा में दिये गये प्रपत्र शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा। यह भी प्राविधान है कि जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उप जिलाधिकारी शपथ दिलायेंगे या प्रतिज्ञान करायेंगे।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त नगर निगमों में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–85 (छायाप्रति सलग्न) तथा समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–43 घ (छायाप्रति सलग्न) के अनुसार शपथ–ग्रहण की कार्यवाही दिनांक 26.05.2023 अथवा दिनांक 27.05.2023 को अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) लखनऊ।

3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।

4– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।

5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

23.5.2023

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

84–– {xxx}[10]

सभासदों इत्यादि द्वारा निष्ठा की शपथ लिया जाना

85–– {(1) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, 1973 में किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक व्यक्ति, जो सभासद, {xxx}[3] निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा, अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात् :

"मैं ———————— क, ख, जो {निगम}[9] का, सभासद, {xxx}[4] नगर प्रमुख/ निर्वाचित विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाये रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों को श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।}[1]

{(1–क) {निगम} की धारा 9 के अधीन संगठन या धारा 538 {***}[11] के अधीन पुनरसंगठन हो जाने के सात दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी निर्वाचित घोषित किय गये नगर प्रमुख, {और सभासदों}[5] का एक अधिवेशन बुलाएगा। डिवीजन का कमिश्नर कराएगा और तत्पश्चात् नगर प्रमुख ऐसे सभासदों {xxx}[6] को, जो उपस्थित हों, शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा।}[2]

(2) कोई व्यक्ति सभासद या नगर प्रमुख {xxx}[7] निर्वाचित हो चुका हो अथवा जो विकास समिति का कोई संयोजित सदस्य हो, अपनी पदावधि के प्रारम्भ से तीन महीने के भीतर या उक्त दिनांक के पश्चात् आयोजित {निगम}[9] के प्रथम तीन अधिवेशनों में से किसी एक में, दोनों में से जो भी परवर्ती हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा एतदर्थ अपेक्षित शपथ अथवा, प्रतिज्ञान न करे तो वह अपने पद पर आसीन न रहेगा और उसका पद रिक्त समझा जायगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई है, {निगम} के किसी अधिवेशन में अथवा विकास समिति का सदस्य संयोजित होने की दशा में उस समिति के किसी अधिवेशन में उस समय तक न तो स्थान ग्रहण करेगा और न यथास्थिति सभासद, {xxx}[8] अथवा नगर–प्रमुख अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में कोई कार्य ही करेगा जब तक उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो।

निर्वाचन व्यय

86–– (1) किसी नगर की निर्वाचन सूचियों को तैयार करने तथा उनके पुनरीक्षण तथा उस नगर के लिए इस अधिनियम के अधीन संचालित निर्वाचनों के संबंध में किए गए समस्त व्यय, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उसके द्वारा निर्दिष्ट आयति पर्यन्त {निगम}[9] पर भारित होंगे तथा उन्हें {निगम}[9] से वसूल किया जा सकेगा।

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 21, 1964 की धारा 9 (1) द्वारा प्रस्थिापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 1977 की धारा 23 (क) (1) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 23 (क) (2) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 23 (ख) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 23 (ख) (2) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 23 (ग) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 23 (घ) द्वारा निकाला गया।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

किया जाये , राज्य निर्वाचन आयोग] आदेश द्वारा, अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन से [1][* * *] सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है, अर्थात –

(क) रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति, शक्ति और कर्तव्य;

(ख) नाम–निर्देशन, संवीक्षा, नाम वापस लेने और मतदान के लिये दिनांक नियत करना;

(ग) नाम–निर्देशन, पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिये अपेक्षाएँ नाम–निर्देशन की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(घ) निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है, और सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया;

(ङ) मतदान के घन्टे और मतदान का स्थगन;

(च) निर्वाचन में मतदान की रीति;

(छ) मतों की संवीक्षा और गणना जिसके अन्तर्गत मतों की पुनर्गणना भी है और मत बराबर–बराबर होने की स्थिति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) परिणाम की घोषणा और अधिसूचना;

[2](झ) नाम–निर्देशन के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ञ) [3][* * *]

[4][**43–घ. राज्य निष्ठा और पद की शपथ** – (1) नगरपालिका का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य नगरपालिका के अधिवेशन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में संविधान के प्रति अपनी राजनिष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा –

" मैं, *क ख,* इस नगरपालिका का अध्यक्ष / सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित 'भारत का संविधान' के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाये रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ "

(2) अध्यक्ष या सदस्य जो अपने पद की अवधि से आरम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर अथवा उक्त दिनांक के पश्चात् नगरपालिका के प्रथम तीन बैठकों में से किसी एक

1– उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, सन् 1994 द्वारा 'विवाद के निस्तारण' शब्दों को विलुप्त कर दिया गया.

2– उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, सन् 1982 द्वारा जोड़ी गयी.

3– उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, सन् 1994 द्वारा खण्ड (ञ) से (द) तक निरसित.

4– उ0प्र0 अधिनियम सं0 27, सन् 1964 द्वारा जोड़ी गयी.

में, जो भी पश्चात्वर्ती हो, जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाये, उपधारा (1) में अधिकथित और उसकी अपेक्षानुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में चूक करेगा, अपने पद पर न रह जायेगा, और उसका स्थान रिक्त हुआ समझा जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई हो, नगरपालिका की बैठक में अपना स्थान ग्रहण नहीं करेगा अथवा नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसने उपधारा (1) में अभिकथित शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञान न कर लिया हो और हस्ताक्षर न कर लिया हो।

[1]["(4) नगरपालिका का गठन अथवा पुनर्गठन हो जाने के सात दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट इस धारा में विहित रीति से शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिये नगरपालिका की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थित में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जायेगी, इस प्रकार बुलाई गयी बैठक को नगरपालिका की प्रथम बैठक माना जायेगा।"

(5) कार्यपालक अधिकारी, यथाशीघ्र, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य के , यदि कोई हो, जो उपधारा (2) के अधीन अपने पद पर न रह जाये, नाम की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

44. [* * *]

[3][**44–क. अध्यक्ष का उपनिर्वाचन** – यदि मृत्यु या त्याग पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाये तो तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र , किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, [4][धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा।

[5][**45. [* * *]**

[6][**46. अध्यक्ष की पदावधि** – (1) इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अध्यक्ष की पदावधि, नगरपालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

1– उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, सन् 2006 द्वारा प्रतिस्थापित जो उ0प्र0 असाधारण गजट भाग 1 खण्ड (क) दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित हुआ.

2– उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, सन् 1949 द्वारा विलुप्त.

3– उ0प्र0 अधिनियम सं0 41, सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित.

4– उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित.

5– उ0प्र0 अधिनियम सं0 35, सन् 1978 द्वारा निरसित.

6– उ0प्र0 अधिनियम सं0 41, सन् 1978 द्वारा निरसित.